बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

संचिका संख्याः– ICDS/40040/06 - 2012/3129 पटना, दिनांकः 30/07/2015

बिहार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा कार्यकारिणी एवं विभिन्न स्तरों पर समन्वय समिति

अधिसूचना

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति 20 सितम्बर, 2013 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई, जिसके आलोक में 26 फरवरी, 2014 को संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् का गठन हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के इस संकल्प में वर्णित नीति के तहत राज्य स्तर पर बिहार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् के गठन की अधिसूचना (संख्या ICDS/40040/06-2012/2127 दिनांक 20 मई 2015) निर्गत की गई जो बिहार गजट सं0 589 दिनांक 22.05.2015 द्वारा प्रकाशित है।

ई.सी.सी.ई. नीति के लक्ष्यों की सफल प्राप्ति के लिए तथा राज्य के सर्वसाधारण तक सभी सेवा प्रदात्ताओं के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के व्यापक संचरण हेतु राज्य स्तरीय ई.सी.सी.ई. परिषद् के साथ–साथ राज्य कार्यकारिणी समिति, तथा जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा समन्वय समितियों का गठन किया जाता है।

1. राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा कार्यकारिणी समिति की संरचना :

1.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	–	अध्यक्ष
2.	निदेशक, आई.सी.डी.एस.	–	सदस्य–उपाध्यक्ष
3.	निदेशक, SCERT	–	सदस्य
4.	प्रोक्योरमेन्ट पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस.	–	सदस्य
5.	प्रशिक्षण पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस.	–	सदस्य
6.	प्रभारी पदाधिकारी, ईसीसीई, आई.सी.डी.एस.	–	सदस्य–संयोजक
7.	प्रतिनिधि, निपसिड	–	सदस्य
8.	शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, बिहार	–	सदस्य
9.	राज्य स्तर पर अध्यक्ष द्वारा नामित ईसीसीई के क्षेत्र में सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि (एक से अधिक हो सकते है)	–	सदस्य
10.	2 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (रोटेशन के अनुसार आई.सी.डी.एस. द्वारा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 6 माह)	–	सदस्य

सदस्य–संयोजक, समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुमति से ईसीसीई विशेषज्ञों, विकास साझेदारों आदि को सहयोजित एवं आमंत्रित कर सकते हैं। राज्य कार्यकारिणी समिति वर्ष में कम–से–कम 6 बार बैठकों को आहूत करेगी एवं विभागीय दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें करेंगी।

2. राज्य समिति के उद्देश्य :

राज्य ईसीसीई समिति का मुख्य उद्देश्य 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ–साथ सर्वांगीण तथा समेकित विकास के लिए राज्य सरकार की निर्धारित नीतियों एवं अवधारणा के कार्यान्वयन के लिए सुचारु कार्य–योजना बनाना है।

3. समिति के कार्य :

यह राज्य कार्यकारिणी समिति सरकार के निर्णयों को निष्पादित एवं कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार होगी। यह सरकार के निर्णयों को लागू करने के लिए अधिकृत होगी। यह सरकार के कार्यों